

राजस्थान- सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/प्रीपीजी-2025/2025/90

दिनांक : 18/03/2025

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय:-राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.04.2020, दिनांक 28.06.2021, दिनांक 18.05.2022, दिनांक 16.08.2022, दिनांक 05.04.2023 एवं दिनांक 13.05.2024 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी रिमोट, डिफिकल्ट एवं ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों हेतु अधिसूचना दिनांक 14.04.2020, दिनांक 28.06.2021, दिनांक 18.05.2022, दिनांक 16.08.2022, दिनांक 05.04.2023 एवं दिनांक 13.05.2024 में यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जाना हो, इन्द्राज करने से रह गया हो अथवा हटाया जाना हो तो कमशः निम्न फॉर्म 'अ', 'ब' एवं 'स' में अंकित करते हुए दिनांक 28.03.2025 को सांय 05 बजे तक pgcellgaz2022@gmail.com पर अपलोड कराया जावे। अन्यथा प्रकरण में विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगी।

1. अधिसूचना में नए जोड़े जाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूचना

फॉर्म 'अ'

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	चिकित्सा संस्थान किस क्षेत्र में स्थित है (रिमोट/डिफिकल्ट/ग्रामीण)	विशेष विवरण

2. अधिसूचना में संशोधन किये जाने वाली चिकित्सा संस्थानों की सूचना

फॉर्म 'ब'

क्र.सं.	जारी की गयी अधिसूचना दिनांक एवं उक्त सूची में क्र.सं.	सूची में अंकित नाम	संशोधित नाम

3. अधिसूचना से हटाये जाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूचना

फॉर्म 'स'

क्र.सं.	जारी की गयी अधिसूचना दिनांक एवं उक्त सूची में क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	कारण/विशेष विवरण

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/प्रीपीजी-2025/2025/90

दिनांक : 18/03/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधिनस्थ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को उक्त सूचना फॉर्म 'अ', 'ब' एवं 'स' में अंकित कर निदेशालय को दिनांक 28.03.2025 सांय 05 बजे तक भिजवाये जाने हेतु अपने स्तर से पाबंद करे।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारियों की ईमेल आईडी पर अपलोड करावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Director
Date :18-03-2025 03:49:31